गणना प्रपत्र प्रारूप

पता:			
क्रमांक : 629, भाग संख्या : 48 - प्राथमिक		ाग	
विधान सभा /लोक सभा का नाम : 187 - व	,		
सफ़ेद पृष्टभूमिके साथ पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए अहस्ताक्षरित रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5से. मी. X3.5से.मी.) की नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान			
जन्म तिथि	आधार संख्या (वैकल्पिक)		मोबाइल नंबर
पिता/कानूनी अभिभावक का नाम [ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध है)	
माता का नाम		ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध है)	
			·
जीवनसाथी का नाम (यदि उपलब्ध है)		ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध है)	
	घोष	त्रणा	
मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा	। करता हूँ कि -		
(i) मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते क	ग साधारण निवासी हूँ,	भारत का नागरिक हूँ,	और (किसी एक को चिन्हित करें)
ें ेे मेरा जन्म भारत में 01.07.1987 के पूर्व हुआ		er.	
 अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्र मेरा जन्म भारत में 01.07.1987 और 02.12. 		नीचे दी गई सूची में से	कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करायें।
अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमापिता या माता की जन्म तिथि और/या जन्म			

े मेरा जन्म भारत में 02.12.2004 के बाद हुआ है।			
अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध करायें।			
🖣 पिता के जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध करायें।			
• माता की जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध करायें।			
• यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय के उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध करायें।			
ो मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है (विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें),			
] मैंने पंजीकरण/नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें)			
(ii) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।			
(iii) मैं निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूं और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय			
निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है।			
(iv) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान			
या विश्वास है या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता/करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के			
अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।			
दिनांकःस्थान हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान			
घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लिखित हो तो, स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अर्हता तिथि 01.01.2003 के			
आधार पर बिहार की निर्वाचक नामावली का उद्धरण उपयोग किया गया हो. को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा)			

- 1. केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/ पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)
- 2. सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा भारत में 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
- 3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।
- 4. पासपोर्ट
- 5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- 6. सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- 7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
- 8. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र।
- 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो)।
- 10.राज्य/स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर।
- 11.सरकार की कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।